"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2014— अग्रहायण 26, शक 1936

(दो)

प्ररूप

कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ)

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/4066/पंचायत/2014. — छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-22-पं.-02, दिनांक 23 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है , सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 अन्तर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भाटापारा	69	खपरी (आर)	खपरी (आर)	877	29
			योग	**877**	

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भाटापारा	70	राजपुर	राजपुर	981	29
			बम्हनीडीह	वीरान	29
			योग	**981**	

हस्ता./-
(राजेश सुकुमार टोप्पो)
कलेक्टर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.